न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम. के. सिंह,
सदस्य.

.....

प्रकरण कमांक निगरानी 740–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–2–13 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश प्रकरण कमांक 8/12–13/स्वमेव निगरानी.

.....

1– हरीसिंह पुत्र तुलसीनारायण जाति मीणा
2– दीनबंधु पुत्र तुलसीनारायण जाति मीणा
3– भूपेन्द्र सिंह पुत्र तुलसीनारायण जाति मीणा
4– गीतेशपुत्र सूरजमल जाति मीणा
5– महावीर पुत्र सूरजमल जाति मीणा
6– बिन्तोष पत्नी हरीशंकर जाति मीणा
7– बिन्तोष पुत्री गप्पू लाल जाति मीणा
8– हरिमोहन पुत्र सूरजमल जाति मीणा
9– सोभागसिंह पुत्र सूरजमल जाति मीणा
10– बिमला पत्नी भवानी शंकर जाति मीणा
निवासी ग्राम सौठवा तह. व जिला श्योपुर
11– उम्मेद सिंह पुत्र चन्द्रभान सिंह जाति जाट
12– संजय सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट
ग्राम भोई का तिराहा, काचरमूली
तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.
13– शकुन्तला पुत्री मथुरालाल जाति मीणा
14– कौशल्या पुत्री मोहनलाल जाति मीणा
निवासीयान ग्राम सौठवा तह. व जिला श्योपुर
15– योगेन्द्र सिंह पुत्र चन्द्रभानसिंह जाति जाट
16– राजरानीपुत्र चन्द्रभान सिंह जाति जाट
ग्राम भोई का तिराहा, काचरमूली
तहसील व जिला श्योपुर म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– कलेक्टर, श्योपुर
2– तहसीलदार, श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र. ——— अनावेदकगण

.....

श्री कुंवर सिंह कुशवाह , अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री डी.के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदकगण.

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1–9 –2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 8/12–13/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12–2–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विवादित भूमि का पट्टा आवेदक कमांक 13 एवं 14 को वर्ष 2003 में आवेदक कमांक 1 लगायत 10 को वर्ष 2004 में आवेदक कमांक 11 एवं 12 को वर्ष 2006 में स्वीकृत किए गए थे । जिसे शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लेकर तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर निरस्त किया गया है जो अवैधानिक है क्योंकि प्रथमतः शिकायत के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता दूसरे विचारण न्यायालय का आदेश अपीलीय आदेश है जिसके विरूद्ध अपील करना चाहिए था न कि निगरानी इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1981 आर.एन. 333 (उच्च न्यायालय), 2007 आर.एन. 71 के न्यायदृष्टांत का संदर्भ देते हुए कहा गया कि इस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया कि शिकायत कर्ता गीताबाई को आवेदकों के पक्ष में हुए पट्टों की पूर्व से जानकारी थी । सरपंच गीताबाई और सचिव कैलाश आर्य द्वारा पूर्व सरपंच शकुंतला देवी कराए गए कार्य की राशि लगभग 6 लाख भुगतान उनको न करते हुए कूटरचित एवं फर्जी तरीके से स्वयं आहरण कर गबन किया गया । पूर्व सरपंच को जो चैक दिए गए वे बाउंस हो गये जब उक्त तथ्यों की जानकारी पूर्व सरपंच द्वारा कार्यपालन अधिकारी जिला पंचयायत श्योपुर को दी गई तो उन्होंने उसकी जांच कराई और जांच में सरंपच गीताबाई

और सचिव कैलाश आर्य दोषी पाए गए और उनके खिलाफ दिनांक 27–7–12 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई । इसी के तहत गीताबाई ने राजनीतिक द्वेषवश आवेदकों की शिकायत कलेक्टर के समक्ष दिनांक 21.9.12 को की जिस पर से कलेक्टर ने आलोच्य आदेश पारित किया है ।

यह भी कहा गया कि इस प्रकरण में जो कार्यवाही हुई है वह मनमाने तरीके से सोची समझी साजिश के तहत की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पृथक–पृथक 6 प्रकरणों में आदेश पारित करते हुए पट्टे दिये गये थे अतः कलेक्टर को पृथक–2 प्रकरण दर्ज करना चाहिए थे किंतु उनके द्वारा सभी 6 प्रकरणों को एक ही प्रकरण द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया गया है जो अवैधानिक है ।

यह तर्क दिया गया है कि स्वमेव निगरानी अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के अंदर किया जाना चाहिए और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है । यह भी कहा गया कि आवेदकों ने भूमि पट्टे पर प्राप्त होने के उपरांत काफी मेहनत से उसे कृषि योग्य बनाया है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया है इस कारण इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं । उनके द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 एवं न्यायदृष्टांत I.L.R. (2011) M.P.1 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) का हवाला दिया गया ।

4– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया गया । अभिलेख को देखने स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के पट्टे आवेदक कमांक 13 एवं 14 को वर्ष 2003 में आवेदक कमांक 1 लगायत 10 को वर्ष 2004 में आवेदक कमांक 11 एवं 12 को वर्ष 2006 में स्वीकृत किए गए थे । जिन्हें शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जाकर निरस्त किया गया है जो विधिसम्मत नहीं

है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 156 एवं 2006 आर0एन0 313 अवलोकनीय है । इन न्यायदृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वमेव निगरानी की कार्यवाही शिकायत के आधार पर प्रारंभ नहीं की जा सकती । स्वमेव निगरानी की कार्यवाही न्यायालय स्वयं अपनी ओर से प्रतिस्थापित कर सकता है । इस कारण कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता ।

6/ अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा भिन्न–2 प्रकरणों में भिन्न–2 दिनांकों में भूमि का व्यवस्थापन किया गया था किंतु कलेक्टर द्वारा सभी प्रकरणों को एक ही आदेश द्वारा निरस्त किया गया है जो वैधानिक कार्यवाही नहीं है । इस कारण भी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

7/ अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी की कार्यवाही 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष उपरांत प्रारंभ की गई है उक्त अवधि आवेदकगण की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में उक्त अवधि युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकती । न्यायदृष्टांत 1998 (1) म0प्र0 वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार न्यादृष्टांत I.L.R. (2011) M.P.1 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में माननीय उच्च न्यायालय, म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 50 के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल संपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है ।

6/ प्रकरण में आए तथ्यों से विचार योग्य बिंदु यह भी है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकों को पट्टे पर प्राप्त होने के उपरांत उन्होंने उसे धन एवं श्रम व्यय करके कृषि योग्य बनाया गया है ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों

द्वारा की गई त्रुटियों के कारण आवेदकों को आवंटित भूमि से वंचित करना न्याय की श्रेणी में नहीं माना जायेगा इन तथ्यों पर भी कलेक्टर द्वारा गौर नहीं किया है । इस कारण भी उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 8/12–13/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12–2–13 अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किया जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर